प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायालय— मऊ।

प्रशासनिक आदेश संख्या: 13 **दिनांक: 16.01.2025**

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या: 590/Admin. (E-I) Section /XC-4/ Dated: Allahabad: 13.01.2025 के माध्यम से कैलेण्डर वर्ष 2025 में मकर संक्रान्ति के उपलक्ष्य पर 14 जनवरी 2025 दिन मंगलवार को सार्वजनिक अवकाश निगोशिएबुल इन्स्ट्रुमेंट एक्ट 1881 के अनुसार घोषित किया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों हेतु निर्गत कैलेण्डर वर्ष 2025 के नोट संख्या 03 के अनुसार पांच स्थानीय अवकाश घोषित किये जाने के संदर्भ में आदेश संख्या-03 /2025, दिनांकित 08.01.2025 के द्वारा न्यायिक प्रतिष्ठान, मऊ में 14 जनवरी 2025 दिन मंगलवार को मकर संक्रांति का स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था।

14 जनवरी 2025 दिन मंगलवार को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने के कारण 14 जनवरी 2025 दिन मंगलवार को घोषित स्थानीय अवकाश के स्थान पर **दिनांक 29.01.2025 (दिन बुधवार) को मौनी अमावस्या का स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है।**

तद्नुसार सभी संबंधित सूचित हो।

(Sunil Kumar) 16/01/2025

(सुनील कुमार-IV)
जनपद न्यायाधीश
मऊ।

पत्र संख्या: दिनांकःमऊ 2025

प्रतिलिप अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, मऊ।
2. पीठासीन अधिकारी, एम.ए.सी.टी., मऊ।
3. जिलाधिकारी, मऊ।
4. पुलिस अधीक्षक, मऊ।
5. अध्यक्ष/ महामंत्री सिविल सेन्ट्रल बार एसोसिऐशन, मऊ।
6. संयुक्त निदेशक अभियोजन, मऊ /ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, मऊ।
7. अधीक्षक, जिला कारागार मऊ।
8. जिला सूचना अधिकारी, मऊ को इस आशय से प्रेषित कि सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराना सुनिश्चित करें।
9. सिस्टम ऑफिसर, मऊ को इस आशय से प्रेषित कि जनपद न्यायालय मऊ के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(Sunil Kumar) 16/01/2025

(सुनील कुमार-IV)
जनपद न्यायाधीश
मऊ।